राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 419/2018

जमुना वासवानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उदयपुर जोन, उदयपुर।
3. डीईओ, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।
4. डीईओ, प्राथमिक शिक्षा, उदयपुर।
5. बीईईओ, पंचायत समिति, गिरवा, जिला उदयपुर।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.04.2018

आदेश की दिनांक : 24.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को नियमित मानते हुये दिनांक 18.12.1996 से 19.05.1999 तक के अवकाश को स्वीकृत करते हुये भुगतान किया जावे और वेतन वृद्धि तथा पांचवें वेतन आयोग का लाभ देते हुये वेतन पुनरीक्षित करने का निर्देश दिया जावे और समस्त सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन एवं

पेंशनरी आदि भी रिवाईज किये जावें तथा विलम्ब से भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 29.11.1984 को हुई थी और दिनांक 03.12.1984 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। दीपावली के छुट्टियों के कारण अपीलार्थी दिनांक 30.10.1994 से 13.11.1994 तक अपीलार्थी अपने शादी, डिलीवरी एवं व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पर रही और दिनांक 14.11.1994 से 17.12.1996 तक वह कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकी, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 18.12.1996 से उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांगानेर में निरंतर सेवायें किये जाने का अनुरोध किया, परंतु प्रधानाध्यापक द्वारा उसे कार्यग्रहण नहीं कराया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष 902/1997 अपील प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.1998 को यह निर्देश देते हुये अपील निस्तारित की कि अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया जावे और उक्त पालना में अपीलार्थी को दिनांक 14.05.1999 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जीतावला में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण करवाया। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्ष 1984 से कार्य कर रही है, परंतु अवकाश अवधि दिनांक 18.12.1996 से 13.05.1999 तक को नियमित एवं स्वीकृत नहीं किया गया। जबकि अवकाश प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अपील संख्या 2006/2001 दिनांक 06.08.2001 को प्रस्तुत की और प्रत्यर्थीगण को दिनांक 14.11.1994 से उसकी सेवाओं को नियमित किये जाने की प्रार्थना की गई। दिनांक 04.06.2010 को अपीलार्थी की उक्त अपील निस्तारित करते हुये निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को उक्त अवकाश तीन माह में स्वीकृत करने के निर्देश देते हुये अपील निस्तारित की गई और अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी ने पुनः रिव्यू एप्लीकेशन प्रस्तुत की, जिसमें उसे नये रूप से मामले को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। उनका कथन है कि अपीलार्थी को न तो कोई अवकाश स्वीकृत किये गये और न ही कोई लाभ दिया गया और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही जिसे दिनांक 01.11.2013 से आदेश दिनांक 13.09.2013 के द्वारा स्वीकृत कर दी गई। अपीलार्थी 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा का लाभ प्राप्त करने के

अधिकारी थी। अपीलार्थी ने लगभग 29 वर्ष की सेवायें दी हैं। अपीलार्थी को अस्थायी रूप से पीपीओ जारी किया गया, जो 3 वर्ष बाद विलम्ब से जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अवकाश भी स्वीकृत किये। अधिकरण के आदेश के बावजूद अपीलार्थी की न तो अवकाश स्वीकृत किया गया और न ही उसकी सेवाओं को नियमित किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी 9, 18 एवं 27 वर्षीय लाभ नहीं ले सकी और न ही उसके वेतनमान को समय–समय पर पुनरीक्षित किया गया तथा सेवानिवृत्ति लाभ भी समय पर प्रदान नहीं किये गये, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को नियमित मानते हुये दिनांक 18.12.1996 से 19.05.1999 तक के अवकाश को स्वीकृत करते हुये भुगतान किया जावे और वेतन वृद्धि तथा पांचवें वेतन आयोग का लाभ देते हुये वेतन पुनरीक्षित करने का निर्देश दिया जावे और समस्त सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन एवं पेंशनरी आदि भी रिवाईज किये जावें तथा विलम्ब से भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के अवकाश अवधि दिनांक 18.12.1996 से 19.05.1999 तक की अवधि कुल 881 दिवस का असाधारण अवकाश आदेश दिनांक 17.12.2020 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 26(2) के तहत स्वीकृत किया गया और अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी अन्य कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 29.11.1984 को हुई थी और दिनांक 03.12.1984 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। दीपावली के छुट्टियों के कारण अपीलार्थी दिनांक 30.10.1994 से 13.11.1994 तक अपीलार्थी अपने शादी, डिलीवरी एवं व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पर रही और दिनांक 14.11.1994 से 17.12.1996 तक वह कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकी,

जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 18.12.1996 से उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांगानेर में निरंतर सेवायें किये जाने का अनुरोध किया, परंतु प्रधानाध्यापक द्वारा उसे कार्यग्रहण नहीं कराया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष 902/1997 अपील प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.1998 को यह निर्देश देते हुये अपील निस्तारित की कि अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया जावे और उक्त पालना में अपीलार्थी को दिनांक 14.05.1999 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जीतावला में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण करवाया। परंतु अवकाश अवधि दिनांक 18.12.1996 से 13.05.1999 तक को नियमित एवं स्वीकृत नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को अवकाश अवधि दिनांक 18.12.1996 से 19.05.1999 तक की अवधि को पेंशन परिलाभ आदि में गणना नहीं किये जाने एवं छठा वेतन आयोग लागू होने उपरांत समय पर वेतन स्थरीकरण नहीं किये जाने तथा उक्त छठे वेतन का लाभ नियमानुसार समय पर नहीं दिये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 17.12.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अवकाश अवधि दिनांक 18.12.1996 से 19.05.1999 तक की अवधि कुल 881 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 26(2) के तहत स्वीकृत किया गया। उक्त अवकाश असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किये गये हैं और इस प्रकार सेवा नियमों के अनुसार उक्त अवकाश अवधि पेंशन परिलाभ आदि में गणना किये जाने योग्य मानी जानी चाहिये। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अवधि की गणना पेंशन परिलाभ आदि में नहीं किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। जहां तक अपीलार्थी को समय–समय पर छठे वेतन आयोग के अंतर्गत उसका वेतन स्थिरीकरण नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी आदेश दिनांक 13.09.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50(1) के तहत सेवानिवृत्त किया गया है और अपीलार्थी को दिनांक 01.11.2013 से सेवानिवृत्त किया गया है। सेवानिवृत्ति पश्चात् तक अपीलार्थी को छठे वेतन आयोग का लाभ समय पर नहीं दिया गया और इस प्रकार हमारे मत में सेवा नियमों एवं राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के अंतर्गत वेतन स्थिरीकरण, बकाया वेतन, पेंशन, पेंशनरी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि देय तिथि से हुये विलम्ब अवधि का शेष राशि पर नियमानुसार 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश दिनांक 17.12.2020 के द्वारा स्वीकृत असाधारण अवकाश दिनांक 18.12.1996 से 19.05.1999 तक की अवधि का काल्पनिक लाभ देते हुये इस अवधि को पेंशन परिलाभ आदि में भी नियमानुसार गणना की जावे तथा पांचवे एवं छठे वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन स्थिरीकरण में हुये विलम्ब के कारण बकाया वेतन, पेंशन, पेंशनरी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि माह मई, 1999 के पश्चात् देय तिथि से भुगतान तिथि तक की अवधि पर नियमानुसार 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भी भुगतान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य